अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

विविध वाद संख्या–36 / 2024–25

ज्ञानी मुण्डा

–बनाम्–

विरेन्द्र मुण्डा एवं अन्य

–::आदेश::–

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक ज्ञानी मुण्डा, पिता– सुरेश लाल मुण्डा, ग्राम+पो0– कण्डेर, थाना– महुआटाँड़, जिला– बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा– कण्डेर के खाता सं0– 5, प्लॉट सं0– 569, रकवा– 23 डी0 भूमि पर पी0एम0 आवास का निर्माण किया जा रहा था, परन्तु द्वितीय पक्ष (1) विरेन्द्र मुण्डा, पिता– परमेश्वर मुण्डा, (2) अमर लाल मुण्डा, पिता– परमेश्वर मुण्डा, (3) ओकीलाल मुण्डा, पिता– परमेश्वर मुण्डा, (4) छोटे लाल मुण्डा, पिता– परमेश्वर मुण्डा, (5) कपील मुण्डा, महेन्द्र मुण्डा दोनो के पिता– गौपी मुण्डा, ग्राम+पो0– कण्डेर, थाना– महुआटाँड़, जिला– बोकारो के द्वारा उक्त जमीन पर जबरन विरोध किया जा रहा है। जबकि वह मौजा कण्डेर के खाता सं0–05 के खतियानी रैयत के वंशज है। अतः उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन पर विरोध करने वाले पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में विपक्षी विरेन्द्र मुण्डा, पिता– परमेश्वर मुण्डा एवं अन्य को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। फलस्वरूप उनके द्वारा उपस्थिति दर्ज करते कहा गया कि प्रथम पक्ष खाता सं0– 05 के रैयत के वंशज नहीं है। उनका कहना है कि मौजा कण्डेर खाता सं0– 15, 16 एवं 17 के खतियानी रैयत के वंशज है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष का वंशावली संदिग्द है।

उक्त के संबंध में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कण्डेर थाना महुआटाँड़, खाता सं0– 05 खतियानी रैयत चुड़का मुण्डा

22/5/25

वगै0 है। जिसमें ज्ञानी मुण्डा पिता सुरेश लाल मुण्डा उक्त खतियान के खतियानी रैयत होने का दावा करते है। जिसके संबंध में उनके द्वारा वार्ड सदस्य एवं मुखिया, ग्राम पंचायत कण्डेर द्वारा सत्यापित वंशावली प्रस्तुत किए है। जिसमें चुड़का मुण्डा की पुत्री बैली देवी के वंशवृक्ष में आते है। उक्त खाता से संबंधित बिरेन्द्र मुण्डा पिता परमेश्वर मुण्डा द्वारा आवेदक के वंशावली से भिन्न वंशावली प्रस्तुत किए है। जिसमें चुड़का मुण्डा को नवल्द दर्शाया गया है, जो वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत कण्डेर द्वारा सत्यापित है। दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत वंशावली के अवलोकन से मौजा कण्डेर, थाना महुआटाँड़ खाता सं0– 05 खतियानी रैयत का वंशावली संदेहात्मक प्रतीत होता है।

दोनो पक्षों की दलील, अभिलेख में संधारित राजस्व कागजात एवं संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि मौजा– कण्डेर के खाता सं0– 5, प्लॉट सं0– 569, रकवा– 23 डी0 में बनने वाले पी0एम0 आवास को लेकर दोनो पक्षों के बीच विवाद है। पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत वंशावली एक दूसरे से भिन्न है और संदेहात्मक भी। दोनो पक्ष एक ही भूमि को लेकर विवाद कर रहे है। ऐसे में यह मामला स्वत्त्व निर्धारण का प्रतीत होता है। जिसके लिए अधोहस्ताक्षरी का न्यायालय, सक्षम न्यायालय नहीं है। पक्षकार अपने हक एवं अधिकार के लिए इस मामले को लेकर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
गोमिया।

अंचल अधिकारी
गोमिया।

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.06.24 11:28:46 +05:30
Location: 192.168.33.139

स्थानः– गोमिया।
दिनांकः– 22.05.2025